न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–62/2015

Sl No date of order of proceeding	Order with Signature of the Court	Office Action taken with date

आदेश

बिरजू पासवान, पे0–स्व0 गरीब पासवान– आवेदक प्रथम
नारद पासवान, पे0–शंकर पासवान-- आवेदक द्वितीय
सुधीर पासवान, पे0–ब्रहम्देव पासवान– आवेदक तृतीय
मिचल पासवान, पे0–लखन पासवान– आवेदक चतुर्थ
सा0–भछियार पो0+थाना+जिला–जमुई।

बनाम

विकाश कुमार केसरी पे0–स्व0 अर्जुन प्रसाद केसरी– विपक्षी प्रथम
सा0–पुरानी बाजार, जमुई, पो0+थाना+जिला–जमुई।

अभिलेख उपस्थापित। विचाराधीन जमाबंदी रद्दीकरण वाद बिरजू पासवान, पे0–स्व0 गरीब पासवान एवं अन्य द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक–10.11.2015 के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त वाद में उभयपक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई की गई तथा उभयपक्षों द्वारा अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए बहस की गई तथा अपना लिखित बहस पेश की गई।

वादी (प्रथम पक्ष) का कथन :–

(1) मौजा–भछियार, खाता सं0–110 के खतियानी रैयत रूपन दिलचन्द और दिलवर पासवान थे।

(2) खाता सं0–110 का कुल रकवा 2.48डी0 जमीन है, जिसमें 6डी0 बेलगान और 2.42डी0 जमीन की लगान लगती है।

(3) आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज से आते है और वर्त्तमान में जमाबंदी संख्या–395/540 हेमराज पासवान एवं बुधनी देवी के नाम से $50\frac{1}{3}$डी0 जमीन चली आ रही है तथा खाता सं0–110 की जमीन. आवेदक के पूर्वजो ने बेची और बेचने के बाद आवेदकगण के पास $50\frac{2}{3}$डी0 जमीन ही बची रह गई जिसकी जमाबंदी कायम है और चलती आ रही है।

(4) खाता सं0–110 ,खेसरा सं0–79, रकवा–$50\frac{2}{3}$डी0 जमीन पर आवेदगण का दखल है एवं आवेदकगण के पूर्वजों के नाम से मालगुजारी रसीद कट रही थी। लेकिन मालूम हुआ कि बिना किसी केस नम्बर के या किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना स्व0 अर्जून प्रसाद केसरी के नाम पर रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर अपना नाम चढ़वा लिया है।

(5) रजिस्टर 2 का नकल देखने से स्पष्ट होता है कि भछियार के होल्डिंग नं0–393/540 में हेमराज वो, मसो0 बुधनी के नाम को पेन से धेर दिया गया है और उसके नीचे अर्जून प्रसाद केसरी लिख दिया गया है तथा पिता या पति के नाम के जगह पर शिवू पासवान के नाम को धेरकर पेसर राम खेलावन प्रसाद केसरी लिख दिया गया है।

(6) दिनांक–25.02.1964 को सौदागर पासवान, पे0–हेमराज पासवान ने खाता सं0–110, खेसरा सं0–79 की 16डी0 जमीन दो टुकड़ों में अर्जून प्रसाद केसरी, पे0–राम खेलावन केसरी को बिक्री किया है। इसी तरह से दिनांक–15.05.1973 को सौदागर पासवन, पे0–हेमराज पासवान,

गंगो पासवान, पे0–दिलचन्द पासवान, मसो0 बुधनी देवी, जौ0–मिथु पासवान, परमेश्वरी देवी जौ0–मुसो पासवान ने मिलकर खाता सं0–110, खेसरा सं0–79 की 16 डी0 जमीन बिक्री किया था। इस तरह 32 डी0 जमीन की बिक्री खतियानी रैयत के वंशजों द्वारा विपक्षी के पिता स्व0 अर्जून प्रसाद केसरी को की गई परन्तु अंचल अमला को मेल में लाकर अर्जून प्रसाद केसरी ने अपने नाम $50\frac{2}{3}$डी0 जमीन को जबरदस्ती अपने नाम से कायम करवा लिया, जो गलत है।

(7) आवेदकगण का यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी से इस मामले में एक प्रतिवेदन भी मांग की गई जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जमाबंदी सं0–393/540 पूर्व में हेमराज वो मसो0 बुधनी देवी जौ0–शिवू के नाम से कायम था जो नामांतरण होकर अर्जून प्रसाद केसरी, पे0–राम खेलावन प्रसाद केसरी के नाम से कायम है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित है कि पंजी–2 में उक्त जमाबंदी के परिवर्त्तन कॉलम में नामांतरण का कोई सक्षम पदाधिकारी का आदेश नहीं है और न ही कोई केश नम्बर ही अंकित है।

(8) आवेदकगण द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के यहाँ जमाबंदी सुधार वाद सं0–47/2014–15 आवेदकगण के द्वारा विपक्षी पर दायर किया गया। दोनो पक्षों को सुनने के बाद विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई द्वारा पारित आदेश दिनांक–16.07.2015 में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर पाकर सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने का आदेश दिया गया।

(9) खाता सं0–110, खेसरा सं0–79 का $50\frac{1}{3}$डी0 जमीन की जमाबंदी 393/540 है, को आवेदकगण एवं उनके पूर्वजों द्वारा कभी भी विपक्षी के पास बिक्री नहीं किया है तथा विपक्षी का यह कहना कि आवेदकगण के पूर्वजों ने यह जमीन भी बिक्री कर दिया है, गलत है।

(10) आवेदकगण का यह भी कहना है कि दिनांक–09.08.2014 को विपक्षी विकास कुमार केसरी, पे0–अर्जून प्रसाद केसरी एक एकरारनामा स्टॉम्प पेपर पर लिखा है कि मुझे निरंजन सिंह, राजस्व कर्मचारी, अंचल जमुई ने मुझे गलत रसीद दे दिया था, जिसे हम निरंजन सिंह के वापस कर देते है। तथा जमाबंदी सं0–393/540 की वर्णित भूमि पर मेरा कोई दावा नहीं है।

अंत में आवेदकगण द्वारा अर्जून प्रसाद केसरी के नाम से कायम अवैध जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी (द्वितीय पक्ष) का कथन :–

(1) आवेदकगण का $50\frac{2}{3}$डी0 जमीन पर दखल–कब्जा नहीं है। आवेदकगण द्वारा आवेदन में दिखाई गई वंशावली भी गलत एवं काल्पनिक है। अर्जून प्रसाद केसरी ने चार अलग–अलग केवालो के द्वारा खाता सं0–110 की जमीन 1973, 1975 और 1979 में ही खतियानी रैयत के वंशज द्वारा क्रय कर चुके है।

(2) खरीददारी की तिथि से अर्जून प्रसाद केसरी का दखल कब्जा अपनी खरीदगी जमीन पर चला आ रहा है। केवालों के आधार पर अर्जून प्रसाद केसरी के नाम से दाखिल–खारिज स्वीकृत होकर रसीद कट रही है। उस जमीन में अर्जून प्रसाद केसरी ने विभिन्न रैयतों के पास जमीन की बिक्री भी विभिन्न तिथियों को किया है।

(3) अर्जून प्रसाद केसरी ने जिन–जिन लोगों के पास जमीन बिक्री

की है उनके नाम से भी दाखिल–खारिज होकर रसीद कट रही है। खरीदार लोगों ने खरीदारी के बाद अपना–अपना मकान तथा घेरा बनाया है।

(4) अंचल अधिकारी द्वारा जॉंर्च प्रतिवेदन में आवेदकों के दखल होने के बात का गलत उल्लेख किया है, जो विश्वसनीय नहीं है। अगर रजिस्टर–2 में दाखिल–खारिज का वाद संख्या या आदेश की तारीख अंकित नहीं किया गया है तो यह लिपिकीय भूल है। जमाबंदी का संधारण अर्जून प्रसाद केसरी के द्वारा नहीं किया गया है।

(5) अर्जून प्रसाद केसरी के नाम से अगर कोई केवाला नही रहता तो अर्जून प्रसाद केसरी की जमाबंदी को निराधार कहा जा सकता था।

(6) विपक्षी की ओर से यह भी कहा गया है कि खाता सं0–110 के खेसरा सं0–79 में अर्जून प्रसाद केसरी ने जिन–जिन लोगों को बिक्री किया है उनके नाम से भी जमाबंदी कायम की गई है, परन्तु किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिसके कारण भी आवेदक का आवेदन दोषपूर्ण है।

(7) विपक्षी का यह भी कहना है कि जब तक बुधनी देवी और हेमराज पासवान तथा अर्जून प्रसाद केसरी जीवित रहे तब तक आवेदकों द्वारा हेमराज और बुधनी देवी के पास किसी तरह का कोई आपति या विरोध नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदकों द्वारा ही जरूर कुछ षड्यंत्र कर्मचारी को मेल में लाकर किया जा रहा है।

विपक्षीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित कागजात अपने लिखित बहस में संलग्न किया है :–

(1) क्रय की गई भूमि का केवाला दिनांक–25.02.1974 की छाया–प्रति।

(2) क्रय की गई भूमि का केवाला दिनांक–19.03.1979 का छाया–प्रति।

(3) क्रय की गई भूमि का केवाला दिनांक–15.05.1973 की छाया–प्रति।

(4) क्रय की गई भूमि का केवाला दिनांक–01.05.1975 की छाया–प्रति।

(5) लगान रसीद की छाया–प्रति संलग्न।

(6) बिक्रय की गई भूमि का केवाला दिनांक–19.12.2017 की छाया–प्रति।

(7) बिक्रय की गई भूमि का केवाला दिनांक–28.03.2003 की छाया–प्रति।

(8) बिक्रय की गई भूमि का केवाला दिनांक–07.11.2006 की छाया–प्रति।

(9) बिक्रय की गई भूमि का केवाला दिनांक–08.10.2007 की छाया–प्रति।

(10) बिक्रय की गई भूमि का केवाला दिनांक–23.12.2008 की छाया–प्रति।

(11) बिक्रय की गई भूमि का केवाला दिनांक–18.03.2005 की छाया–प्रति।

(12) बिक्रय की गई भूमि का केवाला दिनांक–08.03.2001 की छाया–प्रति।

(13) बिक्रय की गई भूमि का केवाला दिनांक–18.01.2007 की छाया--प्रति।

(14) बिक्रय की गई भूमि का केवाला दिनांक–08.10.2007 की छाया--प्रति।

(15) बिक्रय की गई भूमि का केवाला दिनांक--19.12.2017 की छाया--प्रति।

विचारणीय बिन्दु :–उभयपक्षों की सुनवाई एवं प्रस्तुत साक्ष्यों से निम्नांकित विचारणीय बिन्दु उभरकर सामने आते है :–

(1) क्या खतियानी या जमाबंदी रैयत/वारिसान के द्वारा भूमि बिक्री कर दिये जाने के बावजूद केवल इस आधार पर कि बिक्रेता के नाम से जमाबंदी पंजी के अलग पृष्ठ पर कायम नहीं कर उसी पृष्ठ पर जमाबंदी रैयत के नाम को घेरकर क्रेता के नाम से वही जमाबंदी संख्या आवंटित किये जाने को जमाबंदी में छेड़–छाड़ मानते हुए चल रही जमाबंदी को निरस्त किया जाना समीचीन होगा।

(2) क्या किसी भूमि की बिक्री के निष्पादित निबंधित वसीका से संबंधित विवाद इस न्यायालय के अधिकारिता के अधीन है।

निष्कर्ष :–

प्रश्नगत भूमि में आवेदकगण का कथन है कि खाता सं0–110 की कुल भूमि का रकवा 2.48 एकड़ है, जिसमें 6डी0 भूमि वेलगान तथा 2.24 डी0 जमीन की लगान लगती है। खाता सं0–110 के खतियानी रैयत दिलचन्द और दिलवर पासवान थे। आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज है। वर्त्तमान में जमाबंदी सं0–395/540 हेमराज पासवान एवं बुधनी देवी के नाम से $50\frac{1}{3}$-डी0 जमीन चली आ रही है। खाता सं0–110 की जमीन आवेदक के पूर्वजों ने बेची और बेचने के पश्चात् आवेदकगण के पास $50\frac{2}{3}$-डी0 जमीन अवशेष रह गई, जिसकी जमाबंदी चली आ रही है। खाता सं0–110, खेसरा सं0–79, रकवा–$50\frac{2}{3}$-डी0 भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है तथा इसकी रसीद कट रही थी परन्तु बिना किसी केस नं0 या किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के अर्जून प्रसाद केसरी के नाम पर रजिस्टर 2 में छेड़–छाड़ कर नाम चढ़वा लिया गया है। भछियार की होल्डिंग नं0–393/540 हेमराज वो मसो0 बुधनी देवी के नाम के जगह पर अर्जून प्रसाद केसरी लिख दिया गया है तथा पिता या पति के नाम के जगह पर शिवू पासवान के नाम को घेरकर पेसर राम खेलावन प्रसाद केसरी अंकित कर दिया गया है। आवेदक का कथन है कि दिनांक–25.02.1964 को सौदागर पासवान, पे0–हेमराज पासवान ने विवादित खेसरा 79 में 16 डी0 जमीन दो टुकड़ों में अर्जून प्रसाद केसरी, पे0–राम खेलावन केसरी को बिक्री कर दिया गया था। इसी प्रकार दिनांक–15.05.1973 को सौदागर पासवान, पे0–हेमराज पासवान, गंगो पासवान, पे0–दिलचन्द पासवान, मसो0 बुधनी देवी, जौ0–मिथु पासवान, परमेश्वरी देवी, जौ0–मुशो पासवान ने मिलकर स्व0 अर्जून प्रसाद केसरी को विवादित खेसरा की 16डी0 जमीन बिक्री कर दी गई इस तरह मात्र 32डी0 जमीन ही खतियानी रैयत के वारिसानों द्वारा अर्जून प्रसाद केसरी को बिक्री की गई परन्तु अंचल अमला को मेल में लाकर अर्जून प्रसाद केसरी के नाम $50\frac{2}{3}$-डी0 जमीन को जबरदस्ती अपने नाम पर कायम करवा लिया, जो गलत है। आवेदक द्वारा

यह भी कहा गया है कि इस मामले में अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जमाबंदी सं0–393/540 पूर्व में हेमराज वो मसो0 बुधनी देवी, जौ0–शीबु के नाम से कायम था, जो नामान्तरण होकर अर्जून प्रसाद केसरी, पे0–राम खेलावन प्रसाद केसरी के नाम से कायम है। पंजी–2 के उक्त जमाबंदी के परिवर्त्तन कॉलम में नामान्तरण हेतु सक्षम पदाधिकारी का आदेश तथा केस नं0 अंकित नहीं है। आवेदकगण का यह भी कहना है कि विपक्षी विकास कुमार केसरी द्वारा स्टॉम्प पेपर पर लिखकर दिया कि वे अपने प्रश्नगत भूमि के जमाबंदी सं0–393/540 रैयत का नाम अर्जून प्रसाद केसरी, पे0–राम खेलावन केसरी के नाम से लगान रसीद सं0–509977 राजस्व कर्मचारी निरंजन कुमार सिंह द्वारा 1.25 लाख रूपये लेकर गलत रूप से निर्गत किया गया था। राजस्व कर्मचारी द्वारा उक्त राशि लौटा दिया गया जिसके साथ ही निरंजन कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी द्वारा निर्गत मूल लगान रसीद वापस कर दिया गया है। आवेदकगण द्वारा उक्त स्टॉम्प पेपर पर सादा एकरारनामा की छाया–प्रति संलग्न की गई है। आवेदकगण का यह दावा कि खतियानी रैयत के वंशजों द्वारा विपक्षी के पिता स्व0 अर्जून प्रसाद केसरी को मात्र 32डी0 भूमि की बिक्री की गई है, जो प्रथम दृष्टया गलत है क्योकि विपक्षीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि के दावा के संदर्भ में चार निबंधित केवाला साक्ष्य के रूप में समर्पित किया गया है। दिनांक–24.02.1974 को निष्पादित वसीका द्वारा बिक्रेता सौदागार पासवान, पे0–हेमराज पासवान वो गरीबन पासवान, पे0–हेमराज पासवान द्वारा अर्जून प्रसाद केसरी को विवादित खेसरा 79 में 11डी0 एवं 5डी0 कुल 16डी0 भूमि बिक्री की गई। इसी प्रकार दिनांक–19.03.1979 को निष्पादित वसीका द्वारा बदरी पासवान, पे0–गुरूसहाय पासवान द्वारा अर्जून प्रसाद केसरी, पे0–राम खेलावन प्रसाद केसरी को विवादित खेसरा 79 में 24 $\frac{1}{6}$डी0 भूमि बिक्री की गई, दिनांक–15.05.1973 को निष्पादित निबंधित वसीका द्वारा सौदागर पासवान, पे0–हेमराज पासवान वो गागो पासवान, पे0–गिरचन्द पासवान वो बुधनी देवी जौ0–सीबू पासवान वो मसो0 परमेश्वरी देवी जौ0–मुशो पासवान द्वारा अर्जून प्रसाद केसरी, पे0–राम खेलावन प्रसाद केसरी को विवादित खेसरा 79 में 11डी0 एवं 5डी0 कुल 16डी0 भूमि बिक्री की गई। इसी प्रकार दिनांक–09.04.1974 को निष्पादित निबंधित वसीका द्वारा बोढ़न पासवान, पे0–तुलसी पासवान द्वारा अर्जून प्रसाद केसरी, पे0–राम खेलावन प्रसाद केसरी को विवादित खेसरा 79 में 8डी0 एवं 4डी0 कुल 12डी0 भूमि बिक्री की गई। इस प्रकार खतियानी रैयत एवं उनके वंशजों द्वारा विपक्षी विकास कुमार केसरी के पिता स्व0 अर्जून प्रसाद केसरी को विवादित खेसरा 79 में कुल 68 $\frac{1}{6}$ डी0 भूमि बिक्री की गई। विपक्षी द्वारा यह भी दावा किया गया कि केवालो के आधार पर अर्जून प्रसाद केसरी के नाम से दाखिल–खारिज होकर रसीद कट रही है। रजिस्टर 2 में दाखिल–खारिज वाद सं0 एवं आदेश की तारीख अंकित नहीं किया जाना अंचल कर्मियों की भूल है जिसके लिए विपक्षी उतरदायी नहीं है साथ ही अपने दावा के समर्थन में अर्जून प्रसाद केसरी के नाम से 50 $\frac{2}{3}$ डी0 भूमि की वर्ष 2012–13 में निर्गत रसीद सं0–509977 तथा वर्ष 2017–18 में निर्गत रसीद सं0–0451966 संलग्न की गई है। विपक्षीगण द्वारा यह भी दावा किया गया है कि अर्जून प्रसाद केसरी द्वारा क्रय की गई उक्त विवादित खेसरा 79 में कई भूमि विभिन्न

लोगों को विभिन्न तिथियों में बिक्री भी कर दी गई है तथा क्रेताओं के नाम से दाखिल–खारिज होकर लगान रसीद कट रही है। खरीददार द्वारा खरीद की भूमि में मकान तथा घेरा बनाया हुआ है। अपने दावे के समर्थन में केवाला सं0–4184, दिनांक–18.01.2007, जिसमें बिक्रेता अर्जून प्रसाद केसरी द्वारा क्रेता ह्रदय सिंह पे0–राम उचीत सिंह को विवादित खेसरा 79 में 8डी0, निबंधित वसीका 6832, दिनांक–08.10.2007 जिसमें बिक्रेता अर्जून प्रसाद केसरी द्वारा क्रेता ह्रदय सिंह पे0–राम उचीत सिंह को विवादित खेसरा 79 में 4डी0, निबंधित वसीका 6833, दिनांक–08.10.2007 जिसमें बिक्रेता अर्जून प्रसाद केसरी द्वारा क्रेता भरोसी यादव, पे0–राम लाल यादव को विवादित खेसरा 79 में 4डी0, निबंधित वसीका 2826, दिनांक–03.06.1999 जिसके द्वारा क्रेता क्रेता ह्रदय सिंह पे0–राम उचीत सिंह को विवादित खेसरा 79 में 8डी0, केवाला सं0–1699, दिनांक–18.03.2005 में बिक्रेता अर्जून प्रसाद केसरी द्वारा क्रेता शैला देवी, जौ0–लक्ष्मण यादव को विवादित खेसरा 79 में 3डी0, केवाला सं0–2445, दिनांक–08.03.2001 बिक्रेता अर्जून प्रसाद केसरी द्वारा क्रेता भरोसी यादव, पे0–राम लाल यादव को विवादित खेसरा 79 में 2डी0, निबंधित वसीका सं0–6415, दिनांक–07.11.2006 द्वारा बिक्रेता अर्जून प्रसाद केसरी ने क्रेता भरोसी यादव को विवादित खेसरा 79 में $6\frac{1}{2}$ डी0 तथा निबंधित वसीका सं0–9429, दिनांक–19.12.2017 द्वारा विपक्षी विकास कुमार केसरी, पे0–स्व0 अर्जून प्रसाद केसरी द्वारा क्रेता रूपम रानी, जौ0–संजीत कुमार को विवादित खेसरा 79 की 4डी0 जमीन बिक्री का कागजात संलग्न किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि क्रेता अर्जून प्रसाद केसरी एवं उनके पुत्र विकास कुमार केसरी द्वारा विवादित खेसरा में कुल $39\frac{1}{2}$ डी0 बिक्री कर दी गई है। आवेदकगण द्वारा उनके पूर्वज की जमाबंदी में विवादित खेसरा 79 का $50\frac{2}{3}$ डी0 भूमि बचे रहने से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही उभयपक्षों की सुनवाई से स्पष्ट होता है कि क्रेता अर्जून प्रसाद केसरी द्वारा खतियानी रैयत के वंशजों से कुल $68\frac{1}{2}$ डी0 भूमि क्रय की गई। यदि आवेदकगण विपक्षी के पिता स्व0 अर्जून प्रसाद केसरी द्वारा क्रय किए गए विवादित खेसरा 79 में क्रय किए गए वसीका अथवा उनके द्वारा बिक्री किए गए वसीका से आवेदकगण को आपत्ति है तो इसके लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय की शरण ली जानी चाहिए थी। साथ ही उक्त भूमि वर्त्तमान में भी विवादित खेसरा 79 में $50\frac{2}{3}$ डी0 आवेदकगण के हिस्सा की है, का निर्धारण भी स्वत्व का बिन्दु निहित होने के कारण व्यवहार न्यायालय की अधिकारिता के अधीन आता है। जहाँ तक दाखिल–खारिज के उपरांत जिस जमाबंदी की सम्पूर्ण भूमि खारिज हो जाती है उस जमाबंदी संख्या को क्रेता के नाम से आवंटित किया जाना समीचीन नहीं है क्योकि इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं दाखिल–खारिज के उपरांत क्रेता के नाम से नई जमाबंदी संख्या दिया जाना चाहिए था परन्तु यदि विधिवत रूप से बिक्रेता की जमाबंदी से सम्पूर्ण भूमि खारिज होने के उपरांत उसी जमाबंदी पर क्रेता का नाम दर्ज किया जाना जमाबंदी से छेड़–छाड़ तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक की यह स्पष्ट नहीं हो जाय कि बिक्रेता की जमाबंदी में भूमि अभी भी बचा हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि क्रेता अर्जून प्रसाद केसरी एवं उनके पुत्र विकास

कुमार केसरी द्वारा विवादित खेसरा में कुल $39\frac{1}{2}$ डी0 भूमि बिक्री कर दिये जाने के बावजूद जमाबंदी रैयत के वंशजों द्वारा उक्त निबंधित वसीकाओं को सक्षम व्यवहार न्यायालय से रद्द नहीं कराया गया। अतः जब तक यह विवादित खेसरा 79 में स्व0 अर्जून प्रसाद केसरी द्वारा क्रय किये गये भूमि से संबंधित निबंधित वसीका एवं उनके द्वारा विवादित खेसरा में बिक्री की गई निबंधित वसीका को सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिए जाए अथवा प्रश्नगत जमाबंदी में वर्णित विवादित खेसरा की भूमि विपक्षी के पिता द्वारा क्रय किए गए भूमि से भिन्न तथा हेमराज एवं बुधनी देवी के हिस्से की भूमि होने का निर्धारण कर दिए जाने के पश्चात ही उक्त जमाबंदी को रद्द कर उक्त जमाबंदी पर हेमराज वो बुधनी देवी का नाम कायम किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। वर्णित परिस्थिति में उक्त जमाबंदी में हस्ताक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है, अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

23/9/19

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

23/9/19

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 1490 /रा0, दिनांक 24.09.2019

प्रतिलिपि :–उभयपक्षो/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई/अंचल अधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/9/19

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।